न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—07 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दुर्गसिंह पुत्र देवीसिंह जाति पुरोहित निवसी बावड़ीखुर्द तहसील सिणधरी		1. खीमसिंह पुत्र देवीसिंह 2. भूरसिंह पुत्र देवीसिंह 3. मगसिंह पुत्र देवीसिंह 4. मन्शासिंह पुत्र देवीसिंह जाति पुरोहित निवासी बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी 5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा भूंका भगतसिंह 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक—21.01.2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा— बावड़ी खुर्द के खसरा संख्या 7,15 रकबा कमशः 147.6847, 9.3116 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 08.10.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। [illegible] की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वा[illegible] किया जाकर [illegible] बावड़ी खुर्द के खसरा संख्या 7,15 रकबा कमशः 147.684[illegible]3116 हैक्टेयर भूमि के सं[illegible]भाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	बरंग
1.	दुर्गसिंह वल्द देवीसिंह जाति पुरोहित सा. सोढ़ो की ढाणी खातेदार रहन– एसबीआई शाखा भूंका भगतसिंह	बावड़ी खुर्द	7	0.6472	बा.सो.	0.24	नारंगी
			7	2.8897	बा.सो.	1.07	
			15	1.8623	बा.दो.	1.04	
			योग	5.3992		2.35	
2.	खीमसिंह वल्द देवीसिंह 1/4 भूरसिंह वल्द देवीसिंह 1/4 मगसिंह वल्द देवीसिंह 1/4 मन्शासिंह वल्द देवीसिंह 1/4 जाति पुरोहित सा. सोढ़ो की ढाणी खातेदार रहन– खीमसिंह, भूरसिंह मन्शासिंह , एसबीआई शाखा भूंका भगतसिंह	बावड़ी खुर्द	7	0.6472	बा.सो.		बैंगनी
			7	6.2100	बा.सो.		
			7	7.2906	बा.सो.		
			15	1.8623	बा.दो.		
			15	5.5870	बा.दो.		
			योग	21.5971		9.39	

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner